

38-01/2018- सीसीपीडी
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -03
दिनांक 31 जनवरी, 2025

परिपत्र

विषय – आयुक्त दिव्यांगजन के 01 पद को भरने के संबंध में।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय में आयुक्त दिव्यांगजन के 01 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. <u>पद का नाम</u>	:	आयुक्त दिव्यांगजन
2. <u>मुख्यालय</u>	:	नई दिल्ली
3. <u>पदों की संख्या</u>	:	01 (अनारक्षित श्रेणी)
4. <u>वेतनमान</u>	:	भारत सरकार के अपर सचिव को स्वीकार्य अनुसार वेतन मान और भत्ते। 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की व्यवस्था के अनुसार वर्तमान वेतनमान 1,82,200/- 2,24,100/- रुपये है।

जहां आयुक्त एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्थान या स्वायत्त निकाय का ऐसा सेवारत कर्मचारी हो, जो ऐसी पिछली सेवा के लिए पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो इन नियमों के तहत उसे स्वीकार्य वेतन से वह पेंशन की राशि कम कर दी जाएगी, और यदि उसने पेंशन के एक हिस्से के बदले में, उसका परिवर्तित मूल्य (कम्यूटेड वैल्यू) प्राप्त कर लिया है, तो उस पेंशन के ऐसे परिवर्तित(कम्यूटेड) हिस्से की राशि भी कम कर दी जाएगी।

5. आयु सीमा : 01.01.2025 को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए वर्षों कि यह इसके तहत क्रम सं. 9 में उल्लिखित प्रावधान के अधीन हो।

6. शैक्षिक योग्यता:

I. अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

ट्रैवला

II. वांछनीय : सामाजिक कार्य या विधि या प्रवंधन या मानव अधिकार या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

7. अनुभव:

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध-सरकारी या दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले स्वायत्त निकाय में समूह "क" स्तर के पद पर या दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में पंजीकृत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों में वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी के रूप में न्यूनतम बीस वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

बशर्ते कि इस कुल बीस वर्षों के अनुभव में से, उसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

8. भर्ती का तरीका:

आयुक्त दिव्यांगजन को पद पर भर्ती का तरीका, व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए सीधी नियुक्ति के माध्यम से है। यदि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में है, तो उसे उस पद पर नियुक्त होने से पहले ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त होना होगा।

9. आयुक्त के कार्यालय की अवधि

क. आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए तथा जिसे और दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाए, या जब तक वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, तक होगा।

घ. एक व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल के लिए आयुक्त के रूप में कार्य कर सकता है बशर्ते कि उसने साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।

10. आयुक्त की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य:

आयुक्त की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और / या इसके तहत बनाए गए नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

11. आयुक्त की सेवा के अन्य निवंधन और शर्तें:

(i) छुट्टी:

आयुक्त ऐसी छुट्टी पाने के हकदार होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1972 के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं।

(ii) छुट्टी यात्रा रियायत:

आयुक्त ऐसी छुट्टी यात्रा रियायत पाने के हकदार होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 के तहत समकक्ष स्तर के समूह "क" के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य हैं।

टेबला

(iii) आयुक्त ऐसे चिकित्सा लाभों को पाने के हकदार होंगे जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत समकक्ष स्तर के समूह "क" के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य हैं।

12. अवशिष्ट प्रावधान:

आयुक्त की सेवा की शर्त, जिसके संबंध में इन नियमों और आदेशों में फिलहाल कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वही है, जो भारत सरकार के अपर सचिव पर लागू होती है।

13. इस विज्ञापन के 'रोजगार समाचार पत्र' में प्रकाशन के 45 दिनों के अंदर पात्र अभ्यर्थी अपने दावे (दावों) के समर्थन में सहायक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध) में आवेदन सुश्री देवाला भट्टाचार्जी, अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 5 वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन को क्रमांकित पृष्ठों के साथ विधिवत रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और इसे कई भागों में नहीं बल्कि एकल इकाई के रूप में भेजा जाना चाहिए। सहायक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं। केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत आवेदक उचित माध्यम से अपना आवेदन भेजें। हालांकि, इस आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेजी जा सकती है।

नोट- अधूरे आवेदनों या सहायक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों या ऐसे अग्रिम आवेदन, जिसके लिए बाद में आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित नहीं किए गए हों या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार / उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

देवाला

(देवाला भट्टाचार्जी)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं: 011-2436-6027

संगलनक: आवेदन के प्रपत्र में निहित अनुबंध।

प्रतिलिपि-

- डीईपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट।
- ई-ऑफिस में अपलोड करने के लिए स्थापना/प्रशासन प्रभाग।
- मीडिया प्रभाग को समाचार पत्रों में लघु संस्करण प्रकाशित करने के लिए।

दिनांक : जनवरी, 2025

आयुक्त दिव्यांगजन के पद के लिए आवेदन हेतु प्रपत्र

1. (क) नाम (बड़े अक्षरों में):

(ख) दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी सहित पता:

2. (क) जन्मतिथि:

(ख) दिनांक 01.01.2025 को आयु

3. (क) शैक्षिक और अन्य योग्यताएं:

(ख) क्या सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकार या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा हैं (हाँ/नहीं)? यदि हाँ तो उसका विवरण दें:

(ग) प्रकाशित शोध पत्र (संक्षिप्त में विवरण दर्शाएं)

4. अनुभव का विवरण:

(क) क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्ध सरकारी या दिव्यांगता से संबंधित कार्य या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले स्वायत्त निकाय में गुप "ए" स्तर के पद पर या दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में पंजीकृत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों में वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी के रूप में न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव है? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो उसका व्यौरा (आवेदन की तिथि तक कालानुक्रम अनुसार व्यौरा दिया जाए):

क्र.सं.	कार्यालय/विभाग/संगठन का नाम	क्या यह केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय/राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है?	धारित पद के नाम और वेतनमान/सकल वेतन	कार्यकाल (दिन/माह/वर्ष) से	कार्यकाल (दिन/माह/वर्ष) तक	नियुक्ति की प्रकृति-क्या नियमित/तदर्थ/प्रतिनियुक्ति/मानद	दिव्यांगता क्षेत्र में अनुभव के विवरण सहित जहाँ लागू हो, किए गए कार्यों/नौकरी का विवरण।

(ख) क्या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष (20 वर्षों में से) का अनुभव है? (हाँ/नहीं)

यदि हां, तो उसका विवरण दें।

क्र.सं.	कार्यालय/वि भाग/संगठन का नाम	क्या यह केन्द्रधारित पद का नाम सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध- सरकारी/स्वायत्त निकाय/राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है?	यह केन्द्रधारित पद का नाम और वेतनमान/सकल वेतन सहित पद का विवरण	कार्यकाल (दिन/माह/ वर्ष) से	कार्यकाल (दिन/माह/वर्ष) तक	नियुक्ति की प्रकृति-क्या नियमित/त दर्थ/प्रतिनियु क्ति/मानद	दिव्यांगता क्षेत्र में अनुभव के विवरण सहित, जहां भी लागू हो, किए गए कार्यों/नौकरी का विवरण
---------	------------------------------------	---	---	-----------------------------------	----------------------------------	--	---

5. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण दें, कृपया बताएं कि किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं:-

- i. केंद्र सरकार:
- ii. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन:
- iii. मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान:
- iv. विश्वविद्यालय/स्वायत्त या सांविधिक संगठन:
- v. पंजीकृत निकाय (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, न्यास अधिनियम या राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी):
- vi. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी/सोसाइटी/संघ आदि
(यदि पंजीकृत निकाय है तो संगठन का आकार और उसका कार्यक्षेत्र दर्शाएं):

6. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका उल्लेख आप अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में करना चाहते हैं:

- 7. क्या अनु.जाति/अनु.जनजाति से संबंधित है/दिव्यांगजन है:
- 8. यदि आपके आवेदन के साथ उपलब्ध जानकारी / दस्तावेज अपर्याप्त हैं तो संदर्भ के लिए दो व्यक्तियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर, जिनसे अतिरिक्त जानकारी / स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है :

i) संपर्क 1

- क) नाम:
- ख) पता:
- ग) दूरभाष संख्या:
- घ) ईमेल:

ii) संपर्क 2

- क) नाम:
- ख) पता:
- ग) दूरभाष संख्या:
- घ) ईमेल:

9. प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज (नीचे उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा प्रदान किए गए दस्तावेजों का विवरण निम्नलिखित तालिका की अगली पंक्तियों में संलग्न करें):

क्र.सं.	दस्तावेज के प्रकार	प्रस्तुत किया गया है या नहीं (जहां भी लागू हो ✓ लगाएं)		आवेदन में दस्तावेज की पृष्ठ संख्या
		हां	नहीं	
1	जन्म तिथि का प्रमाण			
2	श्रेणी प्रमाण पत्र (अनु.जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांगजन)			
3	शैक्षिक प्रमाण पत्र (अनिवार्य और वांछनीय)			
3 i)	अनिवार्य (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक)			
3 ii)	वांछनीय (क्या सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकार, या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा है)			
4	अनुभव प्रमाण पत्र			
5	वर्तमान वेतन प्रमाण पत्र			
6	गैर सरकारी संगठनों में अनुभव के मामले में नियोक्ता / संगठन का पंजीकरण प्रमाण पत्र			

10. क्या उपरोक्त दावों के संबंध में कोई सहायक दस्तावेज नहीं है? यदि हां, तो प्रस्तुत नहीं करने के कारण :

उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

पत्राचार के लिए पूरा पता